रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-05112026-277704
SG-DL-E-05112026-277704

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 328] दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 30, 2026/कार्तिक 8, 1948 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 272
No. 328] DELHI, FRIDAY, OCTOBER 30, 2026/KARTIKA 8, 1948 [N. C. T. D. No. 272

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह–एफएसएल विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2026

फा. सं. 2(100)/एफएसएल/स्था0/भर्ती नियम/उप–निदेशक (रासायनिक विज्ञान)/2024/741.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 फा0 27/59–एचआईएम (i) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में **उप–निदेशक (रासायनिक विज्ञान)** पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :– (i) इन नियमों को **उप–निदेशक (रासायनिक विज्ञान)** फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, भर्ती नियमावली, 2026 कहा जाए।

(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर** :–उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि** :–उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :–वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :–जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव**:– इन नियमों में किसी उल्लेख से भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	**उप–निदेशक (रासायनिक विज्ञान)**
2.	**पदों की संख्या**	:	01 (2026) * *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अलिपिकीय, राजपत्रित, समूह क
4.	**वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर**	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–12
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर–चयन पद**	:	चयन पद
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	लागू नहीं
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	लागू नहीं
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	आयु : लागू नहीं शैक्षिक योग्यता : लागू नहीं
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है**	:	लागू नहीं
10.	**भर्ती की पद्धति**	:	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण किया जाना है**	:	**पदोन्नति :** ग्रेड में पांच वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन स्तर–11 (67,700–2,08,700/–रुपये) में, सहायक–निदेशक (रासायनिक विज्ञान)।

			मानक टीपः जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे;बशर्ते कि अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा दो (02) वर्ष, इनमें से जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।**	:	**विभागीय पदोन्नति समिति** 1. अध्यक्ष/सदस्य,संघ लोक सेवा आयोग **(अध्यक्ष)** 2.मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार **(सदस्य)** 3. अपर मुख्य सचिव (गृह)/प्रधान सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार **(सदस्य)** 4. प्रधान निदेशक/निदेशक, संबंधित विषय, एफएसएल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – **सदस्य** **विभागीय स्थायीकरण समिति** लागू नहीं
13.	**वे परिस्थितियॉ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।?**	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,

संजीव कुमार शर्मा, ओएसडी (गृह)

HOME-FSL DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 29th October, 2026

F. No. 2(100)FSL/ESTT/RR/Dy. Director (Chemical Science)/2024/741.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification no. F-27/59-him (i) dated the 13th July,1959, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post Deputy Director (Chemical Science) in Forensic Science Laboratory, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:

1. Short title and commencement–

(i) These rules may be called the **Deputy Director (Chemical Science),** Forensic Science Laboratory Recruitment Rules, 2026.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in Delhi Gazette.

2. **Number of posts, classification and Pay Level in Pay Matrix –** The number of the said post, its classification and pay level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification etc:-**The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification**:-No person,-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax:-**Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving:-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions, required to be provided for the Schedule Castes, Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	**Number of posts**	**Classification**	**Pay Level in the Pay Matrix**	**Whether Selection or Non Selection post**	**Age limit for direct recruits**	**Educational and other Qualification required for direct recruits**
1	2	3	4	5	6	7
Deputy Director (Chemical Science)	01* (2026) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Non Ministerial Gazetted Group A	Level 12 in the Pay Matrix	Selection post	Not Applicable	Not Applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	**Period of Probation, if any**	**Method of Recruitment,**	**In case of recruitment by Promotion / Deputation / transfer grade from which promotion / deputation /transfer to be made**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition**	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment**
8	9	10	11	12	13
Age: Not Applicable Edu. Qual: Not Applicable	Not Applicable	100 % by Promotion	Assistant Director (Chemical Science) in pay level-11 (Rs. 67,700- 2,08,700) with five years regular service in the grade. **Standard Note**: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not	**Departmental Promotion Committee** 1.Chairman/Member, U.P.S.C.(Chairman) 2. Chief Secretary, GNCTD (Member) 3. ACS (Home)/ Principal Secretary	Consultation with U.P.S.C. is not necessary.

			short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	(Home)/ Secretary (Home), GNCTD (Member) 4. Principal Director/ Director of the concerned discipline, FSL, GNCTD (Member) **Departmental Confirmation Committee** Not Applicable	

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

SANJEEV KUMAR SHARMA, OSD (HOME)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

BHABAJIT DEKA Digitally signed by BHABAJIT DEKA Date: 2026.11.05 23:03:29 +05'30'